न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ जिला चित्तौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

प्रार्थना पत्र संख्या :— 08 / 2024

1. चुन्नीलाल पिता किशना जी जाति धाकड निवासी रायता तह0 बेगूँ
2. छोगालाल पिता जीतमल जी जाति धाकड निवासी रायता तह0 बेगूँ

प्रार्थीगण

बनाम

श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चित्तौडगढ़

विपक्षी

उपस्थित :— श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक ::— 11.11.2024

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार से है कि मौजा सिंहपुर प.ह. रायता में प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व जमाबंदी संवत 2078 में अंकित है जिसका विवरण इस प्रकार है:—

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
40	564 / 24	0.1600
	565 / 25	0.1600
	कीता—2 रकबा	0.3200 हैक्टर

यह कि प्रार्थीगण की मौजा सिंहपुर प.ह. रायता तहसील बेगूँ में संवत 2078की जमाबंदी खाता संख्या 39 एवं मौजा रायता प.ह. रायता तहसील की सम्वत 2078 की खाता संख्या 99, 98, 97 इत्यादि कृषि आराजीयात में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी में चुन्नीलाल पिता किशना एवं छोगालाल पिता जीतमल धाकड सा.देह खातेदार रायत के रूप में अंकित है।

यह कि प्रार्थीगण की मौजा सिंहपुर प.ह. रायता में संवत 2078 की खाता संख्या 39 में अंकित आराजी संख्या 505 / 24, 506 / 25 में प्रार्थीगण का नाम चुन्नीलाल पिता किशना एवं छोगालाल पिता जीतमल जी धाकड अंकित है लेकिन प्रार्थीगण की मौजा सिंहपुर प.ह. रायता तहसील बेगूँ की सम्वत 2078 की खाता संख्या 40 में अंकित आराजी संख्या 564 / 24, 565 / 25 कीता— 2 कुल रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि मे प्रार्थीगण का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से विना विधिक जानकारी किये राजस्व कर्मचारियों ने आनन फानन में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी में " चन्नीलाल पिता किशना एवं छोगालाल पिता जीतमल धाकड के बजाय :: किशना पिता जीतमल व चुन्नीलाल पिता छोगा " अंकित कर दिया हे जो राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय भूलवश त्रुटि हुई है। प्रार्थीगण के परिवार में किशना पिता जीतमल व चुन्नीलाल पिता छोगालाल धाकड नाम का कोई व्यक्ति नहीं है औकर ना ही इस नाम का गांव में ही कोई व्यक्ति है।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में अंकित आराजीयात में प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित किया गया, लेकिन राजस्व कर्मचारियो की गलती एवं सहवन भूलवश लिपीकीय त्रुटि से राजस्व रेकार्ड की जमाबंदी में " चुन्नीलाल पिता किशना एवं छोगालाल पिता जीतमल जी धाकड के बजाय किशना पिता जीतमल व चुन्नीलाल पिता छोगालाल धाकड गलत रूप से नाम अंकित कर दिया है जो एक लिपीकीय त्रुटि मात्र है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि प्रार्थीगण के नाम से जारी सरकारी विभिन्न दस्तावेज राशनकार्ड, आधारकार्ड, धारकार्ड, पैनकार्ड मतदाता पहचान पत्र , भामाशाह कार्ड, गैस कनेक्शन डायरी आदि में प्रार्थीगण का नाम चुन्नीलाल पिता किशना एवं छोगालाल पिता जीतमल जी धाकड अंकित है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व अभिलेख में प्रार्थीगण का नाम किशना पिता जीतमल व चुन्नीलाल पिता छोगा लाल धाकड अंकित कर दिया है । किशना पिता जीतमल व चुन्नीलाल पिता छोगालाल धाकड नाम के ग्राम रायता में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है तथा हम प्रार्थीगण को दोनो नाम से जाना पहचाना जाता है। गलत नाम अंकित होने के कारण प्रार्थीगण को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानी हो रही है। प्रार्थीगण ने दिनांक 30.07.2024 को राजस्व रेकार्ड की नकले प्राप्त की तब जानकारी में आया कि प्रार्थीगण का नाम गलत अंकित हो गया है। नाम सुधारने के लिए प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का को कहा तो उन्होने न्यायालय का आदेश होने पर शुद्धिकरण किये जाने को कहा तो प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

वर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान मे पेश है। श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब राजस्व रेकार्ड में नाम शुद्धिकरण किये जाने में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

अतः न्यायालय श्रीमान आप से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मौजा सिंहपुर प.ह. रायता की संवत 2078 खाता संख्या 40 में अंकित आराजी संख्या 564/24, 565/25 कुल कीता– 2 कुल रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण का नाम किशना पिता जीतमल धाकड एवं चुन्नीलाल पिता छोगा जी धाकड भूमि के राजस्व रकार्ड में गलत रूप से अंकित हुए प्रार्थीगण के उक्त नाम के बजाय जरिये शुद्धिकरण के'' चुन्नीलाल पिता किशना एवं छोगालाल पिता जीतमल धाकड साकिन देह रायता नाम अंकित कराये जाने का आदेश फरमाया जावें।

न्यायालय में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी भूमिधारी को तलब किया गया, पत्रावली में भूमिधारी तहसीलदार बेगूं उपस्थित आये तथा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन अपने जवाब में इस प्रकार से किया कि प्रार्थना पत्र की कलम नं. 1 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी राजस्व रेकार्ड से कलम संख्या 1 स्वयं प्रमाणित करें।

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र का बिन्दु प्रार्थीगण स्वयं रेकार्ड से प्रमाणित करें। साथ ही प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3, 4, प्रार्थीगण दस्तावेज से प्रमाणित करें। बिन्दु संख्या 5 न्यायालय श्रीमान के श्रवणाधिकार में है। तथा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6, 7, 8 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

पत्रावली में भूमिधारी विपक्षी का जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट पर उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार ही करते हुए दस्तावेज के अनुसार मौजा सिंहपुर प.ह. रायता की संवत 2078 खाता संख्या 40 में अंकित आराजी संख्या 564/24, 565/25 कुल कीता– 2 कुल रकवा 0.3200 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण का नाम किशना पिता जीतमल धाकड एवं चुन्नीलाल पिता छोगा जी धाकड भूमि के राजस्व रकार्ड में गलत रूप से अंकित हुए प्रार्थीगण के उक्त नाम के बजाय जरिये शुद्धिकरण के'' चुन्नीलाल पिता किशना एवं छोगालाल पिता जीतमल धाकड साकिन देह रायता नाम अंकित कराये जाने का आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया। जबकि भूमिधारी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वयं सिद्ध कराने का निवेदन किया है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

उभयपक्ष की बहस को सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया, नकल जमाबंदी मौजा सिंहपुर प0ह0रायता के खाता संख्या 40 में दर्ज आराजी संख्या 564/24, 565/25 कुल कीता– 2 कुल रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि को किशना पुत्र जीतमल हिस्सा 1/2, चुन्नीलाल पुत्र छोगा हिस्सा 1/2 धाकड दर्ज अंकित किया हुआ है। नक्शाट्रेस आराजी की नकल भी प्रस्तुत की हुई है। मौजा सिंहपुर की जमाबंदी में दर्ज कृषि आराजी जिसके खाता संख्या 39, 99, 98, व 97 में चुन्नीलाल पुत्र किशना व छोगालाल पुत्र जीतमल धाकड अंकित किया हुआ है। प्रस्तुत आधार कार्ड, परिवार के राशनकार्ड, बैंक पासबुक, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र आदि में नाम चुन्नीलाल पुत्र किशना व छोगालाल पुत्र जीतमल धाकड अंकित किया हुआ है।

इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रार्थीगण अपना नाम मौजा सिंहपुर प0ह0रायता के खाता संख्या 40 में दर्ज आराजी संख्या 564/24, 565/25 कुल कीता– 2 कुल रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि में शुद्धिकरण करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाता है। मौजा सिंहपुर प.ह. रायता की संवत 2078 खाता संख्या 40 में अंकित आराजी संख्या 564/24, 565/25 कुल कीता– 2 कुल रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण का नाम किशना पिता जीतमल धाकड एवं चुन्नीलाल पिता छोगा जी धाकड भूमि के राजस्व रकार्ड में गलत रूप से अंकित हुए प्रार्थीगण के उक्त नाम के बजाय जरिये शुद्धिकरण के" चुन्नीलाल पिता किशना एवं छोगालाल पिता जीतमल धाकड साकिन देह रायता नाम अंकित कराये जाने का आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

आदेश आज दिनांक 11.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
जिला-चित्तौडगढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2024/551 दिनांक :– 12-11-24

प्रार्थना पत्र संख्या 08/2024 व अनवान चुन्नीलाल व अन्य बनाम भूमिधारी प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल आरएक्ट में हुए आदेश की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ
जिला-चित्तौडगढ़